



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229254
CG-DL-E-26082021-229254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3211]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2021/भाद्र 4, 1943

No. 3211]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2021/BHADRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 3501(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में NH11 के कि.मी. 12 से कि.मी. 35.55 (मिनी सेक्रेट्रिएट रेवाड़ी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में NH11 के कि.मी. 12 से कि.मी. 35.55 (मिनी सेक्रेट्रिएट रेवाड़ी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: रेवाड़ी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मनेठी					
गांव का नाम: धनि संतो					
1	30//4/1	निजी	कृषि	0.0025000कृ(हेक्टेयर)	0.0025000
गांव का नाम: गुमिना					
1	7//16Min	सरकारी	ग म सड़क	0.0708000कृ(हेक्टेयर)	0.0708000
गांव का नाम: माजरामुस्तीलभालखी					
1	16//12	निजी	कृषि	0.0025000कृ(हेक्टेयर)	0.0025000
2	16//18/1	निजी	कृषि	0.0051000कृ(हेक्टेयर)	0.0051000
3	16//19	निजी	गैर -कृषि	0.0025000कृ(हेक्टेयर)	0.0025000
4	34//16/2	निजी	कृषि	0.0228000कृ(हेक्टेयर)	0.0228000
5	408	अन्य(ग्राम पंचायत)	गै० मु० रास्ता	0.0025000कृ(हेक्टेयर)	0.0025000
6	94	अन्य(ग्राम पंचायत)	ग म रास्ता	0.0405000कृ(हेक्टेयर)	0.0405000
गांव का नाम: मनेठी					
1	149/3	निजी	गैर कृषि	0.0430000कृ(हेक्टेयर)	0.0430000
2	89//10/2	निजी	कृषि	0.0506000कृ(हेक्टेयर)	0.0506000
3	90//14/1	निजी	कृषि	0.0152000कृ(हेक्टेयर)	0.0152000
4	92//14/1	निजी	गैर मु	0.0481000कृ(हेक्टेयर)	0.0481000
5	92//17/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0051000कृ(हेक्टेयर)	0.0051000
गांव का नाम: पाड़ला					
1	360/1	निजी	ग म	0.0076000कृ(हेक्टेयर)	0.0076000
गांव का नाम: पाली					
1	114	अन्य(ग्राम पंचायत)	गै० मु० रास्ता	0.0025000कृ(हेक्टेयर)	0.0025000

2	17//9	निजी	कृषि	0.1113000कृ(हेक्टेयर)	0.1113000
3	18//15	निजी	कृषि	0.1391000कृ(हेक्टेयर)	0.1391000
4	34//1	निजी	कृषि	0.0008000कृ(हेक्टेयर)	0.0008000
गांव का नाम: पीथड़वास					
1	577/3	निजी	गैर -कृषि	0.0632000कृ(हेक्टेयर)	0.0632000
2	583/37	निजी	गैर -कृषि	0.1518000कृ(हेक्टेयर)	0.1518000
गांव का नाम: सुंदरोध					
1	48//24/1	निजी	कृषि	0.0025000कृ(हेक्टेयर)	0.0025000
2	48//24/2	निजी	कृषि	0.0025000कृ(हेक्टेयर)	0.0025000
तालुक का नाम: रेवाड़ी					
गांव का नाम: गंगोली					
1	31//13	निजी	कृषि	0.0101000कृ(हेक्टेयर)	0.0101000
कुल				0.8026	0.8026

[फा. सं. PIU/EC/08/07/01/2017-18/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

S.O. 3501(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH11 in the stretch of land from Km. 12 to Km. 35.55 (Mini Secratariat Rewari) in the district of REWARI in the state of HARYANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District revenue officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from NH11 (Mini Secratariat Rewari) in the district of REWARI in the state of HARYANA

State: HARYANA		District: REWARI			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Manethi					
Village: Dhani Santo					
1	30//4/1	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
Village: Gumina					
1	7//16Min	Government	G.M. Sadak	0.0708000(Hectare)	0.0708000
Village: MajraMustilBhalkhi					
1	16//12	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
2	16//18/1	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
3	16//19	Private	Non-Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
4	34//16/2	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
5	408	Common(Gram Panchayat)	G.M. Rasta	0.0025000(Hectare)	0.0025000
6	94	Common(Gram Panchayat)	G.M. Rasta	0.0405000(Hectare)	0.0405000
Village: Manethi					
1	149/3	Private	Non Agriculture	0.0430000(Hectare)	0.0430000
2	89//10/2	Private	Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
3	90//14/1	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
4	92//14/1	Private	G.M	0.0481000(Hectare)	0.0481000
5	92//17/2	Private	Non Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
Village: Padla					
1	360/1	Private	G.M.	0.0076000(Hectare)	0.0076000
Village: Pali					
1	114	Common(Gram Panchayat)	G.M. Rasta	0.0025000(Hectare)	0.0025000
2	17//9	Private	Agriculture	0.1113000(Hectare)	0.1113000
3	18//15	Private	Agriculture	0.1391000(Hectare)	0.1391000
4	34//1	Private	Agriculture	0.0008000(Hectare)	0.0008000
Village: Pithrawas					
1	577/3	Private	Non-Agriculture	0.0632000(Hectare)	0.0632000
2	583/37	Private	Non-Agriculture	0.1518000(Hectare)	0.1518000
Village: Sundrodh					
1	48//24/1	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
2	48//24/2	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000

Taluk: Rewari					
Village: Gangoli					
1	31//13	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
Total				0.8026	0.8026

[F. No. PIU/EC/08/07/01/2017-18/3A]

RAJESH GUPTA, Director